न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 18/2020 दायर दिनांकः 12/11/2020

उनवान

1. ओमप्रकाश उम्र 34 वर्ष पुत्र चम्पालाल जाति बैरवा निवासी अमृतखेडी तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार , अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।

आदेश दिनाकः 26/11/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं खाते की आराजी ग्राम व माल अमृतखेडी तहसील अटरू में खाता संख्या 35 का किता 1 का रकबा 0.01 है0 में हिस्सा 1/21 में प्रार्थी का नाम उमाशंकर पुत्र चम्पालाल दर्ज हो रहा है व खाता संख्या 85 का किता 5 का रकबा 2.59 में प्रार्थी का नाम ओमाशंकर पुत्र चम्पालाल दर्ज हो रहा है क्योंकि गांव में प्रार्थी को बचपन में इस नामों से ही गांव के लोग पुकारा करते थे इस कारण राजस्व रिकार्ड में यही नाम दर्ज हो गये। प्रार्थी का नाम परिवार के राशनकार्ड एवं आधारकार्ड फोटोपहचान पत्र में ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल जाति बैरवा दर्ज है प्रार्थी ने राशनकार्ड एवं आधारकार्ड फोटो पहचान पत्र कि फोटोकॉपी सरपंच साहब ग्राम पंचायत अमृतखेडी का प्रमाणपत्र प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न किया है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग है जिससे भी यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश ही है इसलिए प्रार्थी अपने राजस्व रिकार्ड में हुये गलत नाम उमाशंकर व ओमाशंकर को दुरूस्त करा कर सही नाम ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल जाति बैरवा दर्ज कराना चाहता है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी को बैंक व सहकारी संस्था से लोन लेने एवं अन्य सरकारी सहायता प्राप्त में काफी पेरशानी का सामना करना पड रहा एवं सरकारी सहायताओं से वंचित होना पड

रहा है जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड रहा है इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी तहसीलदार साहब अटरू को आदेश प्रदान किया जावे कि प्रार्थी का नाम ग्राम व माल अमृतखेडी तहसील अटरू के खाता संख्या 35 व 85 के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल जाति बैरवा निवासी अमृतखेडी तहसील अटरू दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw** 1 का शपथ पत्र पेश किया गया तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थी का नाम ग्राम व माल अमृतखेडी तहसील अटरू के खाता संख्या 35 व 85 के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल जाति बैरवा निवासी अमृतखेडी तहसील अटरू दर्ज किया जावे।

रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2071—2074 ग्राम अमृतखेडी की खाता संख्या 35 में प्रार्थी का नाम सहखातेदार के रूप में उमाशंकर पुत्र चम्पालाल दर्ज है तथा ग्राम अमृतखेडी की खाता संख्या 85 में प्रार्थी का नाम सहखातेदार के रूप में ओमाशंकर पुत्र चम्पालाल दर्ज है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल दर्ज है। परिवार राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश बैरवा पुत्र चम्पालाल दर्ज है। ग्राम पंचायत गोरधनपुरा के प्रमाण पत्र दिनांक 12.09.2020 अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल है ओमप्रकाश का नाम राजस्व रिकार्ड में उमाशंकर एवं ओमाशंकर गलती से दर्ज हो गया है।

अतः रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम व माल अमृतखेडी तहसील अटरू में खाता संख्या 35 का किता 1 का रकबा 0.01 है0 में हिस्सा 1/21 में प्रार्थी का नाम उमाशंकर

पुत्र चम्पालाल के स्थान पर ओमप्रकाश उर्फ उमाशंकर पुत्र चम्पालाल व खाता संख्या 85 का किता 5 का रकबा 2.59 में प्रार्थी का नाम ओमाशंकर के स्थान पर ओमप्रकाश उर्फ ओमाशंकर पुत्र चम्पालाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां